

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर  
जिला-उदयपुर (राज.)

श्रेष्ठ हल ..... विपक्षी ..... मरु

न मुकदमा ..... पत्रावली संख्या ..... 57/24 ..... सन .....  
128 L.R. Act

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर  
वादी / प्रतिवादी /  
गवाह / आदेश  
पालनार्थ  
आदेशांक व  
दिनांक

06/5/24  
पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता जीकी मरु जीकी  
अनुपस्थिति। मरु - मरु मरु तीन बार आवेने मिले  
वर्ष। समय खोल 5 PM हो चुका है। अतः जीकी मरु  
अधिवक्ता जीकी के अनुपस्थिति रहे पर जीकी का  
प्रार्थना - पत्र अधिम दायरी / अधिम पत्रावली में स्थापित  
किता जाता है। पत्रावली केवल अंतर होकर नमकर  
से मरु हो।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।

